International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 5.414 Volume 5, Issue 5, May 2018
Website- www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं की भूमिका : सीकर जिले के विशेष संदर्भ में

डॉ. अतर सिंह[1], कीर्तिश सुप्रियवृत[2]

[1] डॉ. अतर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।

[2] कीर्तिश सुप्रियवृत, शोधार्थी, भूगोल विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।

1. सारांश :–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम उन ग्रामीणों को जो शारीरिक श्रम करने को तैयार है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 150 दिन का गारंटीयुक्त रोजगार उपलब्ध कराती है। यह योजना रोजगार गारंटी के साथ उत्पादक सम्पदाओं का निर्माण करने, पर्यावरण की रक्षा करने, ग्रामीण महिलओं का सशक्तिकरण व विकास करने तथा गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाने और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करती है।

2. प्रस्तावना :–

भारत एक कृषि प्रधान एवं ग्राम्य बाहुल्य राष्ट्र है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.06 करोड़ की थी। जिसमें से 83.35 करोड़ ग्राम्य क्षेत्रों में निवासरत थी परंतु वर्तमान में भारत की जनसंख्या 134 करोड़ तक पहुंच चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवार का मुख्य व्यवसाय सामान्यतः कृषि है और भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है। जो अनिश्चित है। जिसके कारण अल्प वर्षा व अति वर्षा की स्थिति बनी रहती है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का कोई अन्य साधन उपलब्ध न होने के कारण बेरोजगारी व्यापक रूप में विद्यमान है। हमारे देश में बेरोजगारी व जनसंख्या वृद्धि जैसी ज्वलंत समस्या भयावह रूप ले चुकी है तथा जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में कृषि एवं कृषि पर आधारित कार्यों का अभाव है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवार को रोजगार उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है। अतः रोजगार उपलब्ध न होने के कारण ग्रामवासी

© Associated Asia Research Foundation (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। गांव से शहरों की ओर पलायन पर रोक लगाने व निवास स्थल पर रोजगार उपलब्ध कराने, ग्रामीण परिवार के जीवन स्तर में सुधार हेतु व महिला श्रमिकों में सशक्तिकरण लाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 5 सितम्बर 2005 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार को 150 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। यह पहली ऐसी योजना है जिसमें गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। अप्रैल 2008 से यह कानून भारत के सभी गांवों में लागू है।

3. शोध का उद्देश्यः–

शोध प्रबंध में निम्न उद्देश्यों को आधार बनाया गया है :–

1. मनरेगा में महिलाओं में सशक्तिकरण में वृद्धि करना।
2. मनरेगा में ग्रामीण महिलाओं के शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकना।
3. मनरेगा में महिलाओं की समस्याओं का अध्ययन एवं निराकरण करना।

4. शोध प्रविधि :–

शोध अध्ययन का मूलभूत आधार शोध सामग्री, समंक व सूचनाओं का एकत्रीकरण होता है। प्राप्त समंकों का संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीयन व प्रस्तुतीकरण किया गया है। शोध में प्राप्त समंकों को आवश्यक जांच व विश्लेषणात्मक तुलना करने के बाद ही सम्मिलित किए गए हैं। शोध प्रबंध में सांख्यिकीय परिसीमाओं व अपवादों को भी ध्यान में रखा गया है। इनके अलावा प्रश्नावली का चयन, निदर्शन विधि का उपयोग, समंकों का ग्राफीय प्रदर्शन कर विश्लेषण व निर्वचन किया गया है।

5. परिकल्पनाः–

प्रस्तुत शोध में निम्न परिकल्पना की गई है।

1. ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण महिलाओं के शहरों की ओर पलायन को रोकने में सहायक होगी।

6. अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र सीकर जिला भारत के राजस्थान प्रान्त का एक जिला है। यह जिला शेखावाटी के नाम से जाना जाता है, यह प्राकृतिक दृष्टि महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण है। यहां पर तरह–तरह के प्राकृतिक रंग देखने को मिलते हैं सीकर जिले को वीरभान ने बसाया तथा

कालान्तर में राजा माधोसिंह जी ने वर्तमान स्वरूप प्रदान कर सीकर नाम दिया। अध्ययन क्षेत्र सीकर, राज्य की राजधानी जयपुर के उत्तर–पश्चिम में 116 कि.मी. की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग–11 (बीकानेर–आगरा) एवं राज्य राजमार्ग–8 (सीकर–लौहारू), राज्य राजमार्ग–8ए (सीकर–रेनवाल), राज्य राजमार्ग–20 (सीकर–नोखा), राज्य राजमार्ग–37 बी (कोटपूतली–सीकर– धोद) तथा मुख्य जिला मार्ग–24 के जंक्शन पर स्थित है। सीकर उत्तर–पश्चिमी रेलवे का एक प्रमुख स्टेशन है, जो बीकानेर व जयपुर से मीटर गेज लाईन से जुड़ा हुआ है। सीकर जिले के अन्य नगरों यथा फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, दाँतारामगढ़, श्रीमाधोपुर, नीम का थाना आदि से सड़क मार्ग द्वारा भली–भांति जुड़ा हुआ है। राजस्थान के गठन से पूर्व सीकर तत्कालीन जयपुर रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना था।

सीकर जिला 27°21′ से 28°12′ उत्तरी अक्षांश तथा 74°44′ से 75°25′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है तथा माध्य समुद्र तल से लगभग 427 मीटर की ऊँचाई पर बसा हुआ है। यह जिले एवं राज्य के मुख्य नगरों यथा फतेहपुर 50 कि.मी., लक्ष्मणगढ़ 28 कि.मी., श्रीमाधोपुर 65 कि.मी., चूरू 73 कि.मी., झुन्झुनू 68 कि.मी., सालासर धाम 57 कि.मी., बीकानेर 218 कि.मी., जयपुर 116 कि.मी. की दूरी पर सड़क मार्ग द्वारा भली – भांति जुड़ा हुआ है। जिले की उत्तरी सीमा पर राजस्थान के चुरू, झुंझुनू जिले तथा हरियाणा का महेन्द्रगढ़ जिला स्थित है। पश्चिम सीमा पर चुरू और नागौर तथा दक्षिण सीमा पर जयपुर एवं नागौर जिले तथा पूर्वी सीमा पर जयपुर जिला स्थित है। जिले में फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, सीकर, दांतारामगढ़, श्रीमाधोपुर, नीमकाथाना एवं रामगढ़ सेठान (नव सृजित) तहसीलें सम्मिलित है। जिले में सड़क एवं रेल परिवहन का सामान्य विकास हुआ है।

सीकर जिला राजस्थान के भौतिक विभाग पश्चिम रेतीला मैदान के अर्द्धशुष्क मैदान (शेखावाटी निम्न भू–प्रदेश) में स्थित है। यहाँ की स्थलाकृति आन्तरिक जल–प्रवाह क्रम, उबड़–खाबड़ बालू के टीलों (भर) द्वारा परिलक्षित होती है। यहाँ बरखान का केन्द्रीकरण अधिक हुआ है। निम्न भू–भाग पर चूनेदार अधः स्तर अनावृत है, जहाँ खोदे हुए कुएं जोहड़ कहलाते हैं। यहाँ केवल एक मौसमी नदी कांतली है जो खण्डेला की पहाड़ियों से निकलकर चुरू जिले में विलुप्त हो जाती है। अतः यह क्षेत्र अन्तःप्रवाही है। दांतारामगढ़, श्रीमाधोपुर एवं नीमकाथाना तहसीलों में अरावली श्रृंखला की पहाड़ियों का विस्तार हैं। सीकर जिला राजस्थान के उत्तरी भाग के अर्द्धशुष्क जलवायु दशाओं में स्थित है। यह विषम भौतिक एवं जलवायु दशाओं से प्रभावित है। कुल भौगोलिक क्षेत्र 637.68 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 8.24 प्रतिशत क्षेत्र में वन भाग स्थित है, जिले का यह क्षेत्र पठारी एवं पहाडी भाग है, शेष सम्पूर्ण भाग रेतीले टीलों से आच्छादित है। यहां पर कृषि योग्य भूमि में कमी होती जा रही है और जनसंख्या का दबाव कृषि योग्य भूमि पर बढता जा रहा है।

7. मनरेगा का परिचयः–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम ग्रामीण परिवारों के जीवन से जुड़ा है और उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए कृतसंकल्प है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के उन अकुशल मजदूरों के लिए प्रतिवर्ष 150 दिन की मजदूरी की गारंटी देना है जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की रोजी रोटी चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने व ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 को आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले के बांदापल्ली ग्राम से लागू किया गया। इसके पश्चात् प्रथम चरण में इस योजना को देश के अत्यंत पिछड़े हुए 200 ग्रामीण जिले में लागू किया गया और वित्त वर्ष 2007–08 में 130 जिले इसमें और शामिल किये गये तत्पश्चात् 1 अप्रैल 2008 को तृतीय चरण में भारत के शेष 585 ग्रामीण जिले में लागू किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम को संशोधित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। यह योजना भारत सरकार की योजना है जिसे मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास हेतु लागू किया गया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को उनके निवास स्थल पर ही रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के निम्न उद्देश्य हैं :–

i) ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक कमजोर लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर उनकी सामाजिक सुरक्षा सुरक्षित करना।
ii) स्थायी परिसम्पत्ति, बेहतर जल सुरक्षा, भूमि संरक्षण और उच्च भूमि उत्पादकता के निर्माण के द्वारा गरीब लोगों की जीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना।
iii) ग्रामीण भारत में सूखा – बचाव और बाढ़ प्रबंधन को मजबूत करना।
iv) समाज के हाशिए पर स्थित समुदायों विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) के अधिकारों को कानून द्वारा सशक्त बनाना।
v) गरीबी दूर करने और आजीविका संबंधी विभिन्न पहलुओं को बढ़ावा देने के जरिए विकेन्द्रीकरण और भागीदारी की विभिन्न योजना को मजबूत बनाना।
vi) जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थानों को मजबूती प्रदान करके लोकतंत्र को सशक्त बनाना।
vii) शासन में अधिक पारदर्शित और जवाबदेही लाना।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अपनी सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक शासन के माध्यम से ग्रामीण भारत में समग्र प्रगति का एक शक्तिशाली औजार बन गया है। इस योजना का क्रियान्वयन सभी ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत

महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को मातृत्व भत्ता, कार्यस्थल पर शिशुगृह, पेयजल और छप्पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान में कोई लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाता जिससे सामाजिक समानता बनी रहती है।

8. आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण :–

तालिका क्रमांक 1

सीकर जिले में मनरेगा के अंतर्गत महिला श्रमिकों की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक

क्र	ब्लाक	वर्ष 2012–13			वर्ष 2013–14			वर्ष 2014–15			वर्ष 2015–16			वर्ष 2016–17		
		कुल	महिला	प्रतिशत	कुल	महिला	प्रतिशत	कुल	महिला	प्रतिशत	कुल	महिला	प्रतिशत	कुल	महिला	प्रतिशत
1	सीकर	709102	551469	78%	871783	693309	80%	349038	274509	79%	531760	430918	81%	411199	323754	79%

9. रेखाचित्र का स्पष्टीकरण :–

उपरोक्त रेखाचित्र से स्पष्ट होता है कि वित्तीय वर्ष में 2012–13 में मनरेगा के अंतर्गत कुल 3040797 श्रमिकों में से 1888742 महिला श्रमिकों को रोजगार दिया गया जो कुल का 62ः है वर्ष 2013–14 में कुल श्रमिकों की संख्या 3511640 है जिसमें महिला श्रमिकों की संख्या 2278381 है जो कुल का 65ः है इसी प्रकार वर्ष 2014–15 में कुल 1764157 श्रमिक है जिसमें महिला श्रमिकों की संख्या 1115493 है जो कुल का 63ः है वर्ष 2015–16 में 1950224 कुल श्रमिक में से 1327332 महिला श्रमिकों को रोजगार दिया गया है जो कुल का 68ः है तथा वर्ष 2016–17 में भी कुल 1623399 श्रमिक है जिसमें 1049093 महिला श्रमिकों ने रोजगार प्राप्त किया जो कि कुल का 65ः है इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त रोजगार का प्रतिशत 33ः आरक्षण से अधिक है जिसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है।

तालिका क्रमांक 2

मनरेगा के अंतर्गत अर्जित मानव दिवस का विवरण

वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2016–17 तक

वर्ष	प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अर्जित आय
2008-09	57.63
2009-10	88.46
2010-14	110.54
2011-12	120.7
2012-13	131.06
2013-14	145.23
2014-15	155.53
2015-16	154.46
2016-17	160.95

10. तालिका का स्पष्टीकरण :–

उपरोक्त रेखाचित्र से स्पष्ट होता है कि मनरेगा के अंतर्गत देय मजदूरी, मजदूरी अधिनियम के आधार पर निर्धारित की जाती है। वर्ष 2008–09 में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अर्जित आय 57.63 रूपये, वर्ष 2009–10 में 88.46, वर्ष 2010–11 में 110.54, वर्ष 2011–12 में 120.70, वर्ष 2012–13 में 131.06, वर्ष 2013–14 में 145.23, वर्ष 2014–15 में 155.53, वर्ष 2015–16 में 154.46 व वर्ष 2016–17 में 160.95 रूपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अर्जित आय निर्धारित की गई है। इस प्रकार मनरेगा में मजदूरी वृद्धि से महिला श्रमिकों की शहरों की ओर होने वाले पलायन में कमी आई है।

उपलब्धियाँ :–

- राज्य को मनरेगा के अंतर्गत 150 दिन काम की गारंटी तथा महिलाओं की प्रसूति पर एक माह अवकाश के साथ मजदूरी प्रदान करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है।
- मनरेगा के अंतर्गत मातृत्व प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को बिना काम के मजदूरी प्रदान की जाती है।
- सीकर जिले में मनरेगा के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यों में ग्रामीण महिलाओं का 60 प्रतिशत से अधिक रहा है। जिससे जिले को महिला सशक्तिकरण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
- सीकर जिले को गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित कर पुरस्कृत किया गया है।
- सीकर जिले के ग्राम पंचायत को 150 दिन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

समस्याएँ :–

- कार्यस्थल पर समुचित सुविधा का अभाव होता है।
- महिला श्रमिकों के अशिक्षित होने से मजदूरी भुगतान में मेटो के द्वारा गड़बड़ी की जाती है।
- मनरेगा में श्रमिकों को भुगतान बैंकों व डाकघरों के माध्यम से होता है। अतः महिला श्रमिकों को बैंकों की औपचारिकताएँ पूरी करने में कठिनाई होती है।
- महिला श्रमिकों की फर्जी मस्टर रोल बनाया जाता है जिससे महिलाएँ योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाती है।
- महिला श्रमिकों को मातृत्व भत्ता, बेरोजगारी भत्ते का ज्ञान नहीं होता है।
- महिला श्रमिकों को शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानकारी नहीं होती है।
- ठेकेदारों के द्वारा महिला श्रमिकों के साथ र्दुव्यवहार किया जाता है।
- महिलाओं को ग्रामीण सीमा के बाहर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

समाधान :–

- कार्यस्थल पर समुचित सुविधा जैसे पेयजल, छप्पर, प्राथमिक चिकित्सा मुहैया करायी जानी चाहिए। अगर 06 साल से कम आयु के 05 या ज्यादा बच्चें हो तो झूलाघर की व्यवस्था की जानी चाहिए और झूलाघर की देखरेख के लिए महिला श्रमिक की नियुक्ति भी की जानी चाहिए।
- महिला श्रमिकों को शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे मेटो द्वारा की गई जालसाजी को जान सके।
- महिला श्रमिकों के खाते खुलवाने के लिए बैंकों व डाकघरों को स्वयं आगे आना चाहिए तथा बैंकों व डाकघरों को ही खाते खुलवाने से संबंधित औपचारिकताएँ पूरी करनी चाहिए।
- सरकार द्वारा किसी उच्च अधिकारी से सामाजिक अंकेक्षण करानी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार व गबन जैसी विसंगति को रोका जा सके।
- महिला श्रमिकों को मातृत्व भत्ता, बेरोजगारी भत्ता व शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।
- ठेकेदार द्वारा महिला श्रमिकों के प्रति दुर्व्यवहार किए जाने पर सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।
- जहाँ तक संभव हो सके महिलाओं को ग्रामीण सीमा के 05 कि.मी. के अंदर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

सुझावः–

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में श्रमिकों द्वारा रोजगार के लिए किए गए आवेदन की जांच कर ही जॉब कार्ड का वितरण किया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा समय पर निधि का भुगतान किया जाना चाहिए जिससे मजदूरों को भुगतान करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
- सरकार को ठेकेदारों की नियुक्ति पर रोक लगाना चाहिए जिससे ग्रामीण परिवार अधिकाधिक लाभांवित हो सके।
- ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षित कर कुशल कार्यों में सम्मिलित करना चाहिए जिससे प्रत्येक वर्ग के शिक्षित व अशिक्षित श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो सके।
- योजना में कर्मचारियों की नियुक्ति स्थायी तौरपर की जानी चाहिए जिससे कार्यों का विशिष्टिकरण होगा जिसका लाभ श्रमिकों व सरकार दोनों को प्राप्त होगा।
- ऐसे कार्य जो मशीन की सहायता से किए जाते हैं उन कार्यो पर रोक लगानी चाहिए ताकि ग्रामीण परिवारों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके।
- सरकार द्वारा किसी उच्च अधिकारी से सामाजिक अंकेक्षण करवाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार व गबन जैसे विसंगति को रोका जा सके।

- कार्यस्थल पर समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए।
- मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाए जाने का प्रयास करना चाहिए।

11. निष्कर्ष :–

इस प्रकार कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राज्य सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। जिससे ग्रामीण महिलाओं में सशक्तिकरण का विकास हुआ है। इस योजना का ग्रामीण महिलाओं में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। योजना के माध्यम से ही सीकर जिले का ग्रामीण विकास हुआ है तथा सीकर जिले को सर्वाधिक महिलाओं को रोजगार प्रदान करने में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। अंत में इस योजना के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि मनरेगा महिलाओं की आत्मा है, महिलाओं का जीवन है, मनरेगा शरीर में धमनी की भांति है जो महिलाओं का जीवित रखती है।

संदर्भ ग्रंथ एवं पत्र–पत्रिकाएँ

- शर्मा, महेश, महात्मा गांधी नरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2008.
- Mehta, G.S. Management of Mgnrega, The Write to Work.
- Ranjan, Annita, Mgnrega and Women Empowerment.
- Puthenkalam, Joseph John, Human Development Strategy of Mgnrega.
- Purohit, Ashok, Mgnrega and Rural Development.
- फड़िया, डॉ. बी.एल., शोध पद्धतियाँ, साहित्य भवन पब्लिकेशन
- जैन, डॉ. बी.एम., रिसर्च मैथोडोलॉजी, रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर
- यादव, रामजी, भारत में ग्रामीण विकास.
- पटेल, डी.सी. (2015). छत्तीसगढ़ संपूर्ण अध्ययन
- झा, विभाष कुमार, नैयर, डॉ. सौम्या, छत्तीसगढ़ समग्र
- राय, पारसनाथ, राय, सी.पी. (2010–11). अनुसंधान परिचय
- Mgnrega Sameeksha An Anthology of Research Studies on the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, 2006-2012.
- महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर शोध अध्ययनों का संकलन 2006–2012.
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विवरण पत्रिका

- आर्थिक सर्वेक्षण 2013–14
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम समीक्षा 2006–2012
- ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का वार्षिक प्रतिवेदन 2011–12
- जिला पंचायत, सीकर
- दैनिक समाचार पत्र : दैनिक भास्कर, नवभारत, पत्रिका, नई दुनिया, हरिभूमि, अमृत संदेश, अग्रदूत
- साप्ताहिक समाचार पत्र : रोजगार और निर्माण, Employment News
- शक्तावत, मोहनसिंह एवं अभय कुमार व्यास (2000) : वैज्ञानिक फसल प्रबन्धन, यश पब्लिसिंग हाऊस, बीकानेर (राजस्थान)।
- माधो–बसंत (1985) : राजस्थान में कृषि उत्पादन, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
- मामोरिया, चतुर्भुज (1985) भारत का वृहत भूगोल, साहित्य पब्लिकेशन्स आगरा, पृ.सं. 176।
- सिंह, ब्रज भूषण, (1979) : कृषि भूगोल, तारा पब्लिकेशन, वाराणसी।
- सिंह, जसवीर (1976) : "एन० एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा "विशाल पब्लिकेशन कुरुक्षेत्र, हरियाणा।
- सिंह, जे० और (1984) : कृषि भूगोल, टाटा मैगग्रोव हिल्स पब्लिकेशन ढिल्लो पी० एच० कंपनी लिमिटेड।
- तिवारी आर.सी. एवं सिंह बी. एन. (2000) : कृषि भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन इलाहबाद।
- हुसैन, एम (2000) : कृषि भूगोल, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
- शर्मा मुकेश चन्द्र (2002) लालसोट तहसील मे ं कृषि का आधुनिकरण पीएचडी थीसिस, पृ.सं. 150–151।
- शफी, एम (2005) : एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, पियर्सन पब्लिकेशन नई दिल्ली।
- चौहान, टी. एस (1987) : एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, एकेडमिक पब्लिकेशन, जयपुर।
- गोवडा, एन. के. (2001) : एग्रीकल्चर डवल्पमेंट, युटीलिटी बुक्स।
- गुहा, एल० एल० (1965) : "राजस्थान में कृषि विकास" राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर।
- गुर्जर, आर.के (2001) जल प्रबन्ध विज्ञान, पोइटर पब्लिशर्स जयपुर पृ.सं. 16–46।
- लाल, एस.के. (2006) भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेषण, शिव पब्लिशिंग हाऊस, इलाहाबाद, पृ. सं. 3.30।